प्रार्थना पत्र प्र.सं. 166/2023 केसर आदि बनाम सरकार आदि
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
29.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2/2, 2/4, 2/6, 2/8 उपस्थित। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 2 –151 सीपीसी का पेश किया। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन हैं कि प्रार्थी सं. 1 केसर कौर का देहांत दिनांक 04.07.2023 को हो चुका हैं। शेष प्रार्थीगण ही मृतक केसर कौर के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी सं. 1 के नाम के आगे मृतक अकिंत करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण का कथन हैं कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया हैं। केसर कौर के वारिसान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 2/1 की मृत्यु दिनांक 29.09.2019 को हो जाने की सूचना प्रस्तुत की गयी थी। लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु एवं मियाद माफी हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया हैं, ना ही अपने प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 2 –151 सीपीसी के साथ शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार प्रार्थी को चाहिए था कि वे मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसानों प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते जबकि ऐसा नही किया गया। अतः प्रार्थना मृत अप्रार्थी की हद तक उपशमन हो चुका हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीगण प्रकरण के संबंध में गम्भीर नहीं हैं ना ही प्रकरण में कोई विशेष रूचि रखते हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली में [illegible] अन्य [illegible] पत्र भी इसी स्तर पर मूल प्रकरण के साथ खारिज कि[illegible] जा[illegible]। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आ[illegible] गया। Signature Not Verified Digitally signed by Avdhesh Meena Date: 2024.05.13 17:47:43 IST Reason: SelfAttested (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	